न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी वेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 10.01.2020

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, विवादित सम्पत्ति वसूली शाखा, तृतीय तल, मेट्रीक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

1-मैसर्स विश्वकर्मा मोटर बॉडी, प्रो. श्री प्रभूलाल सुथार पिता श्री मांगीलाल सुथार निवासी प्लॉट नं. 28 व 29, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2-श्री जगदीश चन्द्र सुथार पिता श्री मांगीलाल सुथार निवासी आदर्श कॉलोनी, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)
3-श्री मोहन लाल सुथार पिता श्री मांगीलाल सुथार निवासी आदर्श कॉलोनी, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री अमित दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 15,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ऋणी एवं विपक्षी संख्या 3 गारण्टर बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 गारण्टर की ओर से अधिवक्ता श्री परमेन्द्र सिंह ने अधिकार पत्र पेश किया उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 व उनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए जिससे विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

1. **Plot No. 28 & 29, situated at industrial area, Barisadri, Distt. Chittorgarh (Rajasthan) measuring 2095 sq. mtr. Bounded as North-Panchayat Samiti ki Bhumi East- Way to industrial Area South-Plot No. 30, West-Way to industrial area in the name of M/S Vishwakarma Motor Body, Prop. Prabhu Lal S/o Sh. Mangi Lal Suthar.**
2. **A Semi Constrcted Plot part of araji no. 1658/1 measuring 2411 Sq. ft. situated on Chittorgarh Road, opp. Govt. Girls School, Barisadri, Distt. Chittorgarh (Rajasthan) Bounded as East by-25ft. Chittorgarh Road, West by-14'6", house of Heera Lal Sankhla, North by-122 ft, Plot of Rameshwar Lal Gurjar, South by-122 ft., House of Mangi Lal Suthar.**

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 22.03.2019 तक राशि रूपये 18,09,301/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official